मु .नं.31 / 2019 ओमप्रकाश बनाम जीवाराम वगैरह

19.11.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थी ने संशोधित शीर्षक पेश किया नकल अप्रार्थीगण वकील को दिलाई गई जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट. में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा विष्णुनगर पटवारी हल्का बावरला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 10.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117 / 1375 रकबा 1.63 हैक्टयर कुल रकबा 11.73 हैक्टयर भूमि आई हुई है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी है। जिसमें प्रार्थी का ने प्रार्थना पत्र पेश किया तब प्रार्थी के पिता जीवाराम जीवित थे। तब प्रार्थी का 1 / 5 हिस्सा नेशनल शैयर का आया हुआ था, लेकिन उनके फौत होने पर 1 / 4 हिस्सा हक निहित हो चुका हैं। लेकिन अप्रार्थीगण मुझ प्रार्थी को हक से वंचित कर तीनों भाईयों का नाम दर्ज करवाना चाहते है। ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादग्रस्त आराजी संयुक्त भूमि है जिसका विधिवत विभजान होना शेष है। जिसका नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थीगण अच्छी से अच्छी भूमि पर निर्माण कर कब्जा करना चाहते है। जिससे ऐसा कार्य अवैधानिक है पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा अवैध निर्माण हेतु कार्य करने से पुलिस ईमदाद के साथ पालना करवाई थी। ऐसी प्रस्थितियों में वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण को मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आदेश फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण जवाब व काउन्टर टी.आई.में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में प्रार्थी पक्ष के तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया काउन्ट टी.आई. माफिक नक्शा प्रशिष्ट 'अ' के बंटवाड़े अनुसार प्रार्थी अप्रार्थीगण के बंट व हिस्से की भूमि पर दखलन्दाजी नही करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। और बहस पर मनन किया गया। हमने पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं संगत् विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। हम प्रकरण को अस्थाई व्यादेश से संबंधित तीन निम्नलिखित सारभूत बिन्दूओं के आधार पर विवेचन करते हुए निर्णित करना समुचित समझते है।

1. प्रथम दृष्टया मामलाः— प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थना में जमाबंदी खतौनी बदोबस्त प्रस्तुत की है, जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी लगातार खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों व हक—हकूकों का निर्धारण मूल वाद में बाद जवाब तनकियात कायम पर साक्ष्य सबूतों के आधार पर ही संभव है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी आराजी है, अतः यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निशेधाझा से पाबन्द नही किया जाता है, तो वाद [illegible] पैदा होगी एवं वाद बहुलता बढेगी, अतः सुविधा का [illegible] प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है।

2. सुविधा का संतुलनः— वादग्रस्त आराजी प्रार्थी [illegible] पुश्तैनी आराजी रही है एवं प्रथम दृष्टया उनके पूर्वजों द्वारा किसी प्रकार का बैचान करना साबित नही होता है, परन्तु [illegible]र्थीगण की संयुक्त भूमि है। अतः सुविधा का संतुलन किसी एक पक्ष के पक्ष में नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

3. अपूर्णीय क्षतिः— वादग्रस्त आराजी पर अस्थाई निशेधाज्ञा जारी नही जाती है, तो वादग्रस्त आराजी के दुर्व्यय से इंकार नही किया जा सकता है, जिससे वाद बहुलता व अन्य कानूनी पेचीदगियां बढेगी, जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी, अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिदुंवार विवेचन के आधार पर हमारा यह निनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में मूल वाद के निर्णयन तक वर्तमान राजस्व अभिलेख एवं मौके स्थिति में परिवर्तन नही किए जाने बाबत् प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसम्मत एवं उचित समझते है।

—:क्रियात्क आदेशः—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निश्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निशेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी मौजा विष्णुनगर पटवारी हल्का बावरला तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 36 रकबा 10.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 117/1375 रकबा 1.63 हैक्टयर कुल रकबा 11.73 हैक्टयर के संबंध में ताफैसला वाद वर्तमान भू—अभिलेखीय राजस्व रैकर्ड एवं मौका स्थिति में कोई परिवर्तन नही करे। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से एक कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.26 16:29:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner